न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः– 2025 / 661 दर्ज तिथिः–19.09.2025

1. हीराराम पुत्र जोगाराम
जाति भील निवासी नया मोरसीम तहसील बागौड़ा जिला जालोर

......................प्रार्थी

बनाम

2. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

.... अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131, 136
राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–11.12.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया–
   - कि प्रार्थी का खातेदारी खेत खसरा संख्या 1909 / 1688 रकबा 0.3965 है0 सरहद मौजा गुड़ामालानी पटवार मण्डल गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी में आया हुआ है।
   - कि प्रार्थी के खातेदारी खेत तक आने–जाने के लिए खसरा संख्या 2027 / 1988 रकबा 0.1619 है0 किस्म गैर मुमकिन गोचर एवं खसरा संख्या 1910 / 1901 रकबा 0.3318 है0 बारानी सोयम मौजा गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी में से वक्त सेटलमेंट से रास्ता का उपयोग किया जा रहा है।
   - कि उक्त खसरों में से प्रार्थी के आने–जाने के लिए उपयोग में आ रहा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में गेर मुमकिन रास्ता दर्ज नहीं होने के कारण उक्त रास्ते पर सड़क का निर्माण नहीं किया जा रहा है।
   - कि खसरा संख्या 2027 / 1988 रकबा 0.1619 है0 किस्म गैर मुमकिन गोचर एवं खसरा संख्या 1910 / 1901 रकबा 0.3318 है0 बारानी सोयम की किस्म परिवर्तन कर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया है।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरण में हाजा न्यायालय के पत्रांक / कोर्ट / 2025 / 676 दिनांक 23.09.2025 द्वारा तहसीलदार गुडामालानी से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.15 10:22:41 IST
Reason: SelfAttested

3. तत्पश्चात तहसीलदार गुड़ामालानी का पत्रांक/राजस्व/2025/543 दिनांक 09.10.2025 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट निम्नानुसार है–

- कि खसरा संख्या 2027/1988 रकबा 0.1619 है0 किस्म गैर मुमकिन गोचर व खसरा संख्या 1910/1901 रकबा 0.3318 है0 किस्म बारानी सोयम मौजा गुड़मालानी तहसील गुड़ामालानी में मौके पर रास्ता चालू है।
- कि खसरा संख्या 1910/1901 रकबा 0.3318 है0 किस्म बारानी सोयम एवं खसरा संख्या 2027/1988 रकबा 0.1619 है0 किस्म गैर मुमकिन गोचर में से 0.0485 है0 भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया जाना उचित है।
- कि खसरा संख्या 2027/1988 रकबा 0.1619 है0 किस्म गैर मुमकिन गोचर में से 0.0485 है0 भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया जाना उचित है। उक्त भूमि की किस्म गैर मुमकिन गोचर होने से क्षतिपूर्ति ग्राम गुड़ामालानी के खसरा संख्या 1991/1915 रकबा 0.5099 है0 किस्म बारानी दोयम में से 0.0485 है0 भूमि की किस्म गैर मुमकिन गोचर किया जाना प्रस्तावित है।

4. प्रकरण में खसरा संख्या 2027/1988 रकबा 0.1619 है0 किस्म गैर मुमकिन गोचर में से 0.0485 है0 भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता घोषित किये जाने एवं उक्त भूमि की किस्म गैर मुमकिन गोचर होने से क्षतिपूर्ति ग्राम गुड़ामालानी के खसरा संख्या 1991/1915 रकबा 0.5099 है0 किस्म बारानी दोयम में से 0.0485 है0 भूमि की किस्म गैर मुमकिन गोचर किये जाने का प्रस्ताव न्यायालय हाजा के पत्रांक/कोर्ट/2025/899 दिनांक 17.11.2025 द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।

5. तत्पश्चात प्रकरण में श्रीमान जिला कलक्टर महोदय का पत्रांक प.12(3)(139)राज/2025/4200 दिनांक 08.12.2025 द्वारा आराजी खसरा संख्या 2027/1988 रकबा 0.1619 है0 किस्म गैर मुमकिन गोचर में से 0.0485 है0 भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता घोषित किये जाने एवं उक्त भूमि की किस्म गैर मुमकिन गोचर होने से क्षतिपूर्ति ग्राम गुड़ामालानी के खसरा संख्या 1991/1915 रकबा 0.5099 है0 किस्म बारानी दोयम में से 0.0485 है0 भूमि की किस्म गैर मुमकिन गोचर में क्षतिपूर्ति करने का आदेश प्रदान देते हुए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131 एवं राजस्थान भू–राजस्व (भू अभिलेख) नियम, 1957 के उपनियम 60 में नवीन उपबन्ध (एच) जोड़े जोने के क्रम राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.2008 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

6. इस संबंध मे उल्लेखनीय है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 सपठित राजस्थान भू–राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं 31.09.2021 के अनुसार कदीमी रास्ते को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने की शक्तियां भू–अभिलेख अधिकारी को प्रदत्त है। राज्य सरकार द्वारा भू–अभिलेख अधिकारी की शक्तियां संबंधित उपखण्ड अधिकारी को प्रत्योजित की गई है।

7. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में नजरी नक्शा का विश्लेषण आवश्यक है

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.15 10:22:41 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तावित गेर मुमकिन गोचर में से गैर मुमकिन रास्ता	प्रस्तावित गैर मुमकिन गोचर की क्षतिपूर्ति
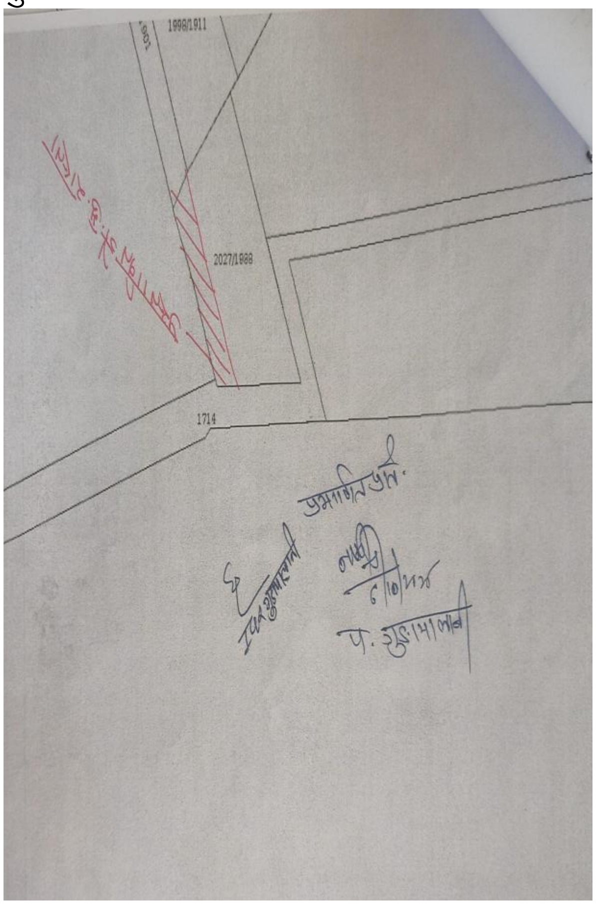	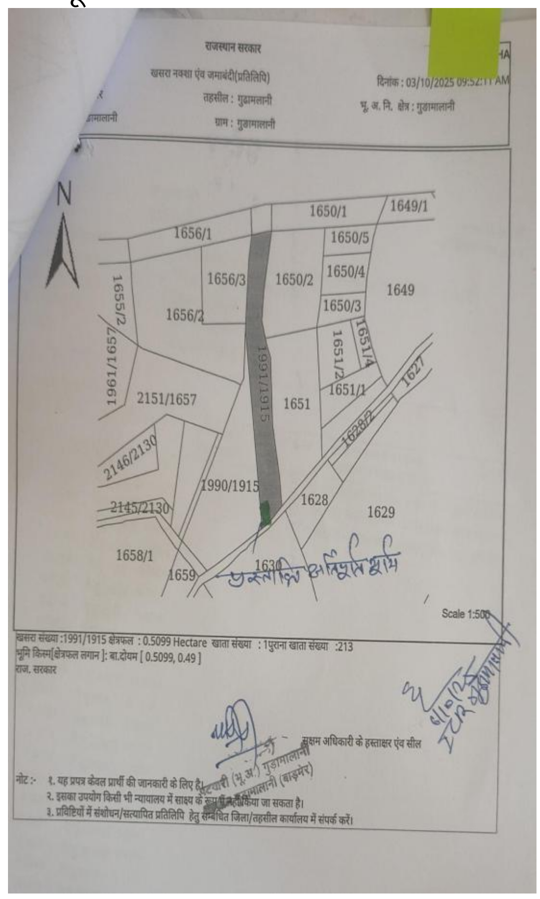

8. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव मय मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अवलोकन से स्पष्ट है कि मौके पर कोई कदीमी रास्ता चालू है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 सपठित राजस्थान भू–राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं 30.09.2021 के अनुसार बारहमासी कदीमी रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर राजस्व रिकॉर्ड को अद्यद्यित किए जाने के प्रावधान बनाए हुए है। उक्त प्रावधानों के संदर्भ में प्रकरण में मौके पर चालू बारहमासी कदीमी रास्ता खसरा संख्या 1910 / 1901 रकबा 0.3318 है0 किस्म बारानी सोयम एवं खसरा संख्या 2027 / 1988 रकबा 0.1619 है0 किस्म गैर मुमकिन गोचर में से 0.0485 है0 भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने एवं 0.0485 है0 गैर मुमकिन गोचर होने से क्षतिपूर्ति ग्राम गुड़ामालानी के खसरा संख्या 1991 / 1915 रकबा 0.5099 है0 किस्म बारानी दोयम में से 0.0485 है0 भूमि की किस्म गैर मुमकिन गोचर किया जाकर प्रकरण में मौका रिपोर्ट द्वारा प्रेषित प्रस्ताव मय मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा–131 एवं 132 सपठित राजस्थान भू–राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं 30.09.

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.15 10:22:41 IST
Reason: SelfAttested

2021 के अनुसार रास्ता खसरा संख्या 1910/1901 रकबा 0.3318 है0 किस्म बारानी सोयम एवं खसरा संख्या 2027/1988 रकबा 0.1619 है0 किस्म गैर मुमकिन गोचर में से 0.0485 है0 भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने एवं 0.0485 है0 भूमि गैर मुमकिन गोचर होने से ग्राम गुड़ामालानी के खसरा संख्या 1991/1915 रकबा 0.5099 है0 किस्म बारानी दोयम में से 0.0485 है0 भूमि की क्षतिपूर्ति करते हुए मौके पर चालू रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने का आदेश दिया जाता है।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 11.12.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.15 10:22:41 IST
Reason: SelfAttested